कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & _E-mail id_ : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक / 659 / संबंद्धता / 2026 भोपाल, दिनाँक 10 / 09 / 2026

प्रति

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः–विभा .ाय मान्यता / अनुमति प्राप्त संस्थाओ से सम्वद्धता शुल्क जमा करने की तिथि में वृद्धि करने के संबंध में।

—//—

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक–एफ 37–2 / 2015 / 20–3 भोपाल दिनांक 31.03.2017 द्वारा अशासकीय हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को विभागीय मान्यता / अनुमति एवं उनके नवीन मान्यता / नवीनीकरण मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया है।

मण्डल के पत्र क्रमांक 81 / मान्यता समन्वय / 2014 दिनांक 18.06.2014 की कंडिका 2.1 के अनुसार विभागीय मान्यता / अनुमति प्राप्त शासकीय / अशासकीय संस्थाओ की पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि एवं नवीन मान्यता / अतिरिक्त संकाय की मान्यता प्राप्त सत्र 2025–26 एवं सत्र 2026–27 संस्थाओं को ऑनलाइन सम्वद्धता शुल्क जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र कमाक / 646 / संवंद्धता / 2026 दिनांक 13.08.2026 के द्वारा 31.08.2026 तक का समय प्रदाय किया गया था उक्त तिथि में दिनांक 25.09.2026 तक की वृद्धि की जाती है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक / 660 / संबंद्धता / 2026 भोपाल दिनाँक 10 / 09 / 2026

प्रतिलिपि

1. निज सचिव, अध्यक्ष / सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. चीफ सिस्टम ऑफिसर, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आंचलिक / संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण / जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल